(01)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

चिंता देवी बनाम् इंद्रमणी यादव वगै0

विविध वाद संख्या –50/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. चिंता देवी, पति – श्री दुलार यादव,
साकिन – बगोदरडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. इंद्रमणी यादव, पिता – स्व0 जानकी गोप,
2. रेशमी देवी, पति – इंद्रमणी यादव,

दोनों साकिन– बगोदरडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बगोदर	**255**	**1392**	**1.41 ए0 मधे 07 डी0**	**उ0– खागो यादव, द0– रास्ता, पु0– धानेश्वर यादव, प0– इंद्रमणी यादव।**

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 05.04.2024 एवं 15.06.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. भीखीआ गोवार के नाम से ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति, कुल – 08 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. बढ़न गोप वो जानकी गोप दोनों पिता – भीखन गोप के नाम से ऑनलाईन रजिस्टर II की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. बढ़न गोप वो जानकी गोप के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**

02

5. मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

6. नजरिया नक्शा की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**

7. चिंता देवी बनाम् शांति मसोमात के केवाला की छायाप्रति, कुल 09 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**

8. चिंता देवी बनाम् धानेश्वर यादव के केवाला की छायाप्रति, कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-8**

9. विवादित स्थल का फोटोग्राफ की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-9**

10. चिंता देवी के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-10**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 05.04.2024 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि प्रथम पक्ष को यह जमीन उनके परदादा भीखवा गोआर के नाम से सर्वे खतियान द्वारा हासिल है। जो मौजा – बगोदर, थाना – बगोदर, थाना नं0 – 107, जिला – गिरिडीह अंदर खाता नं0 – 255, प्लॉट नं0 – 1392, रकबा – 1.41 ए0, मधे विवादित रकबा – 07 डी0, जिसकी चौहदी उ0 – खागो यादव, द0 – रास्ता, पू0 – धानेश्वर यादव, प0 – इंद्रमणी यादव है।

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि उक्त जमीन का जमाबंदी अंचल कार्यालय, बगोदर के जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या – 20, पेज नं0 – 155 में बढ़न गोप वो जानकी गोप, पिता – भीखन गोप के नाम से दर्ज है, जिसका मालगुजारी रसीद लगातार निर्गत होते चला आ रहा है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा बरकरार है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 15.06.2024 को समर्पित पूरक कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

पूरक कथन का प्वांइट नं0 03 – यह कि विवादित जमीन मौजा – बगोदर, थाना नं0 – 107, खाता नं0 – 255, प्लॉट नं0 – 1392, रकबा – 1.41 एकड़, मधे 07 डी0, चौहदी उ0 – खागो यादव का खाली प्लॉट, द0 – 13 फीट रास्ता, पू0 – धनेश्वर यादव का खाली प्लॉट तथा प0 – इन्द्रमणी यादव का पक्का मकान दर्ज है।

पूरक कथन का प्वांइट नं0 04 – यह कि उक्त जमीन प्रथम पक्ष के परदादा भीखआ गोआर के नाम से सर्वे खतियान द्वारा हासिल है।

पूरक कथन का प्वांइट नं0 05 – यह कि उक्त जमीन की जमाबंदी अंचल कार्यालय, बगोदर के मांग पंजी II के पेज नं0 – 155, भोलुम नं0 – 20 पर बढ़न गोप वो जानकी गोप, पिता – भीखन गोप के नाम से जमाबंदी दर्ज है वो साल दर साल राजस्व रसीद निर्गत कराते चले आ रहे हैं।

पूरक कथन का प्वांइट नं0 06 – यह कि उभय पक्षों की वंशावली निम्न प्रकार है:–

भीखवा गोआर

बढ़न गोप (70.5 डी0)

जानकी गोप (70.5 डी0)

बुधन यादव (23.5 डी0)

जगरनाथ यादव (23.5 डी0)

इन्द्रमणी यादव(23.5 डी0)

पुत्री (चिंता देवी) (23.5 डी0)
(बिकी 16.13 डी0) बचा जमीन 7.37 डी0

पूरक कथन का प्वांइट नं0 07 – यह कि प्रथम पक्ष अपने हिस्से की जमीन 23.5 डी0 में से 10.5 डी0 + 5.38 डी0 = 16.13 डी0 जमीन बिकी कर चुकी है।

पूरक कथन का प्वांइट नं0 08 – यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा पूर्व में धनेश्वर यादव, पिता – इंद्रमणी यादव को 5.38 डी0 बिकी किये । पर सारे रकबा पर द्वितीय पक्ष कब्जा करने के नियत से बाउड्री करने का प्रयास कर रहे थे।

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 15.06.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. दिनांक – 07.03.1994 को थाना प्रभारी, बगोदर को दिया गया आवेदन की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. दिनांक – 07.01.1996 को घरैया बंटवारा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. दिनांक – 23.04.2020 को घरैया बंटवारा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
5. भीखवा गोवार के नाम से ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ,**प्रदर्श B-5**
6. बढ़न गोप वो जानकी गोप, दोनों पिता – भीखन गोप के नाम से ऑनलाईन रजिस्टर II की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-6**
7. बढ़न गोप वो जानकी गोप के नाम से ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-7**
8. एकरानामा की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-8**

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 2(1) – वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती भूमि है, जो खतियान नाम भीखीआ गोआर वल्द उदैय गोआर के नाम पर इन्द्राज पाया गया जो मौजा – बगोदर के अंदर खाता नं0 – 255, खेवट नं0 – 3/15 की भूमि है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 2(2) – भीखीआ गोआर अपने पीछे एक मात्र पुत्र भीखन गोप को छोडकर स्वर्गवास चले गये तथा भीखन गोप अपने पीछे कमशः दो पुत्र (1) बढ़न गोप (2) जानकी गोप हुए। जिसमें बढ़न गोप एवं जानकी गोप के बीच खाता नं0 – 255, प्लॉट नं0 – 1392, रकबा – 1.41 ए0 दोनों भाई अपने जीवन काल में ही आधा – आधा रकबा – का बंटवारा कर कायम काबिज दाखिल हो गये।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 2(3) – वादग्रस्त भूमि के कुल रकबा – मधे रकबा – 70.5 डी0 बढ़न गोप एवं रकबा 70.5 डी0 जानकी गोप का हुआ जिसमें उभय पक्ष जानकी गोप के वंशज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 2(4) – जानकी गोप अपने पीछे कमशः तीन पुत्र (1) बुधन गोप (2) जगरनाथ गोप (3) इन्द्रमणी यादव जिसमें आपस में तीनों भाईयों का हिस्सा रकबा – 70.5 डी0 हुआ जिसमें जानकी गोप के दोनों पुत्रों के बीच 70.5 डी0 मधे 35.25 डी0 बुधन गोप एवं रकबा – 35.25 डी0 इन्द्रमणी गोप का हुआ जिसमें दोनों भाईयों का आपस में दखल कब्जा बरकरार है।

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक– 337, दिनांक – 12.04.2024, अनुलग्नक सहित कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

थाना बगोदर का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, बगोदर का प्रतिवेदन, पत्रांक– DR No. – 825/24, दिनांक 10.04.2024, कुल–01 पृष्ठ (प्रतिवेदन– 01 पृष्ठ), प्रदर्श – D-1

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बगोदर	255	1392	1.41 ए0 मधे 07 डी0	उ0– खागो यादव, द0– रास्ता, पु0– धानेश्वर यादव, प0– इंद्रमणी यादव।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 255, खतियान में भीखीआ गोआर के नाम पर दर्ज है।

3. उक्त विवादित भूमि की जमाबंदी, पंजी II के भाग संख्या – 20, पृष्ठ संख्या – 155 पर बढ़न गोप वो जानकी गोप, दोनों पिता – भीखन गोप के नाम पर कायम है, जिसका मालगुजारी रसीद वर्ष 2023–2024 तक निर्गत है।

4. प्रथम पक्ष के द्वारा, स्थानिय मुखिया के हस्ताक्षर से निर्गत खतियानी रैयत की वंशावली समर्पित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

- भीखीआ गोआर
  - बढ़न गोप
  - जानकी गोप
    - बुधन यादव
    - जगरनाथ यादव
      - पुत्री (चिंता देवी)
    - इन्द्रमणी यादव

5. **प्रथम पक्ष, चिन्ता देवी** एवं **द्वितीय पक्ष, इन्द्रमणी यादव** आपस में **चाचा – भतीजी** हैं; एक ही खतियानी रैयत के वंशज है; एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज है; और दोनों उक्त विवादित जमीन को अपने – अपने हक – हिस्से का जमीन बता रहे है।

अतः स्पष्ट है कि यह विवाद दोनों पक्ष के बीच आपसी बंटवारा और हक – हकीयत से संबंधित है, जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15.06.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
बगोदर–सरिया।

15.06.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.07.06 15:30:55 +05:30
Location: 192.168.54.238